भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2294

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हिमाचल प्रदेश में एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा

2294. श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गयी है और यदि हाँ, तो देशभर में राज्य-वार, विशेषकर हिमाचल प्रदेश तथा शिमला संसदीय क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों, इलाज कराने वाले रोगियों तथा सूचीबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश एवं शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता), डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों तथा अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना से लोगों के स्वास्थ्य पर उनके द्वारा होने वाले खर्च में कमी आई है तथा देशभर में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश एवं शिमला संसदीय क्षेत्र में, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य की दिशा में क्या प्रगति हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीमजेएवाई) के कार्यान्वयन किसी नियमित रूप से

समीक्षा करता है जिससे योजना के कार्यान्वयन की प्रगति, लाभार्थियों का कवरेज, अस्पतालों का एम्पेनलमेंट तथा योजना के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जा सके।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का शुभारंभ सितंबर 2018 में किया गया था और शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर चिन्हित 10.74 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था, जो भारत की कुल जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनवरी 2023 में देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना के लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया गया। मार्च 2024 में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लगभग 37 लाख अतिरिक्त परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में योजना का और विस्तार करते हुए 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 6 करोड़ नागरिकों को इसमें शामिल किया गया।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 37,413 अस्पताल पैनलबद्ध किए गए हैं, जिनमें से 14,761 अस्पताल पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान पैनलबद्ध किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं जिला-वार पैनलबद्ध अस्पतालों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://hem.nha.gov.in/search

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के कुल 12.69 करोड़ मामलों को प्राधिकृत किया गया है, जिनमें से 7.14 करोड़ अस्पताल भर्ती मामले पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान प्राधिकृत किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती मामलों के प्राधिकृत विवरण का हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं, तथापि, शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

जिला	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**	**अस्पताल भर्तियों की प्राधिकृत संख्या**
शिमला	17,920	22,785
सोलन	14,807	21,299
सिरमौर	24,668	20,582

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत देश भर में 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से (जिनमें हिमाचल प्रदेश के 2,845 एएएम और शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सोलन, सिरमौर एवं शिमला जिलों में क्रमशः 203, 178 और 343 एएएम शामिल हैं) उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये एएएम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वासात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग): भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया था। दिनांक 27.07.2026 की स्थिति के अनुसार देश में एबीडीएम की प्रगति निम्नानुसार है:

• नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) – 95.78 करोड़
• नागरिकों के आभा से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड – 106.99 करोड़
• स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री में सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवर – 10.20 लाख
• स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री में सत्यापित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र – 5.38 लाख
• एबीडीएम एनेबल्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य सुविधा केंद्र – 2.74 लाख

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान वर्ष 2022-23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय की तुलना में जेब से किए जाने वाले व्यय (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर) का अनुपात वर्ष 2014-15 के 62.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2022-23 में कम होकर 43.4 प्रतिशत हो गया है। यह उल्लेखनीय कमी दर्शाती है कि जन स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते निवेश तथा एबी -पीएमजेएवाई जैसी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार के कारण परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से किए जाने वाले व्यय का हिस्सा काफी कम हुआ है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अर्थात शिमला, सिरमौर एवं सोलन में पात्र लाभार्थियों के लिए कुल 64,666 अस्पताल में भर्ती के मामलों को प्राधिकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत 102.90 करोड़ रुपये की कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की गई है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान अस्पताल में प्राधिकृत किए गए भर्ती मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल भर्तियों की प्राधिकृत संख्या (लाख में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.026
आंध्र प्रदेश	60.44
अरुणाचल प्रदेश	0.14
असम	15.39
बिहार	26.69
चंडीगढ़	0.71
छत्तीसगढ़	48.51
दिल्ली	0.37
गोवा	0.27
गुजरात	43.42
हरियाणा	27.46
हिमाचल प्रदेश	2.68
जम्मू और कश्मीर	12.64
झारखंड	13.35
कर्नाटक	100.28
केरल	29.76
लद्दाख	0.30
लक्षद्वीप	0.02
मध्य प्रदेश	49.18

महाराष्ट्र	33.52
मणिपुर	2.40
मेघालय	6.88
मिजोरम	1.10
नागालैंड	0.95
ओडिशा	14.68
पुदुचेरी	1.42
पंजाब	19.39
राजस्थान	58.22
सिक्किम	0.35
तमिलनाडु	34.23
तेलंगाना	20.40
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.61
त्रिपुरा	3.95
उत्तर प्रदेश	72.55
उत्तराखंड	12.01
